

ब अदालत श्री अक्षित शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी चढ़ियार,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा संख्या : 15 / C / 2024

किस्म मुकद्दमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्री जगदीश चंदर पुत्र श्री महाशा राम, निवासी गांव बरवालखड, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा
(हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री जगदीश चंदर पुत्र श्री महाशा राम, निवासी गांव बरवालखड, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा
(हि० प्र०) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम उसके दस्तावेजों
में जैसे पेंशन कॉपी, आधार कार्ड में महाशा राम दर्ज है जो कि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल
बरवालखड में उसके पिता का नाम महेशा दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक राजस्व अभिलेख महाल
बरवालखड में अपने पिता का नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस
बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 09-07-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में
असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही
अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 14-06-2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री अक्षित शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी चढ़ियार,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा संख्या : 14 / C / 2024

किस्म मुकद्दमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्रीमती रुधो देवी पत्नी दीनानाथ, निवासी महाल घंघोल, डाकघर ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती रुधो देवी पत्नी दीनानाथ, निवासी महाल घंघोल, डाकघर ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम पेंशन
रिकार्ड, बैंक कापी, परिवार नकल में रुधो देवी दर्ज है जो कि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल घंघोल में
उसका नाम रुधो देवी दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका राजस्व अभिलेख महाल घंघोल में अपना नाम
दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 09-07-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 14-06-2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चड़ियार, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकदमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 15-07-2024

श्रीमती सरदा देवी पुत्री श्री प्रताप चन्द, निवासी गांव केटलू डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

बनाम

आम जनता

विषय:—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण—पत्र लेने वारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकदमा वारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 04-10-1976 को गांव केटलू ग्राम पंचायत अम्बाड़ी में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 09—07—2024

अंजू देवी पुत्री श्री बलवंत राम, निवासी गांव क्यारी, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०

बनाम

आम जनता

विषय:—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण—पत्र लेने वारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 28—09—1987 को गांव क्यारी में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज करवाने वारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या बकालतन इस अदालत में दिनांक 09—07—2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 04—07—2024

आशा देवी पत्नी नत्थू राम, निवासी क्यारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, की जेर धारा 37(1) के तहत महाल क्यारी में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके ससुर का सही नाम साहब सिंह पुत्र थोगलिया पुत्र थुनिया है जबकि महाल क्यारी के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम देवी सिंह पुत्र थोगलिया पुत्र थुनिया दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उपरोक्त महाल

में अपने ससूर के नाम को सही करके देवी सिंह उपनाम साहब सिंह पुत्र थोगलिया पुत्र थुनिया दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04—07—2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05—06—2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकदमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी : 04—07—2024

लक्की पुत्र राज कुमार, निवासी रिहालपुरा, डाकघर व तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय:—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण—पत्र लेने वारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकदमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी नानी संध्या देवी पुत्री मंगत राम, निवासी भनाला का देहांत दिनांक 22—04—2009 को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने वारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04—07—2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05—06—2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 04-07-2024

जगरूप नाग पुत्र प्रताप चन्द, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.——दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम की जेर धारा 37(1) के तहत महाल शाहपुर व चन्दरुण में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र का सही नाम अंकुर नाग पुत्र जगरूप नाग पुत्र प्रताप चन्द है जबकि महाल शाहपुर व चन्दरुण के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम अंकुर पुत्र जगरूप नाग पुत्र प्रताप चन्द व अंकुश पुत्र जगरूप नाग पुत्र प्रताप चन्द दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महालात में अपने पुत्र के नाम को सही करके अंकुर उपनाम अंकुर नाग पुत्र जगरूप नाग पुत्र प्रताप चन्द व अंकुश उपनाम अंकुर नाग पुत्र जगरूप नाग पुत्र प्रताप चन्द से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-06-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०

मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

पेशी : 04-07-2024

अजीता पुत्री जन्म सिंह, निवासी क्योडियां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण—पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 09-09-1978 को महाल क्योडियां में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रछयालू विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज

करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में Additional District Registrar (Birth & Deaths-cum-Chief Medical Officer (D&B) Kangra at Dharamashala के Recommendation letter No. HFW/KGR-H (B&D)/(Delayed)/2024-405/06-05-2024 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रचयालू, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-06-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकदमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 04-07-2024

सरोज कुमारी पुत्री श्री हुक्म चन्द, निवासी थरोट, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय:—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने वारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकदमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 17-10-1977 को महाल थरोट में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत चड़ी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में Additional District Registrar (Birth & Deaths-cum-Chief Medical Officer (D&B) Kangra at Dharamashala के Recommendation letter No. HFW/KGR-H (B&D)/(Delayed)/2024-405/06-05-2024 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चड़ी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-04-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 04—07—2024

प्रदीप कुमार पुत्र शंकर सिंह, निवासी पोहाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.——दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल पोहाड़ा में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम प्रदीप कुमार पुत्र शंकर सिंह पुत्र शिव सिंह है जबकि महाल पोहाड़ा के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम प्रदीप सिंह पुत्र शंकर सिंह पुत्र शिव सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने नाम को सही करके प्रदीप सिंह उपनाम प्रदीप कुमार पुत्र शंकर सिंह पुत्र शिव सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04—07—2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12—04—2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 04—07—2024

गीतो राम पुत्र सालो राम, निवासी लालड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.——दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल लालड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम गीतो राम पुत्र सालो राम पुत्र नामालूम है जबकि महाल लालड़ के राजस्व अभिलेख के वखाना काशत में उक्त नाम मोती राम पुत्र सालो राम पुत्र नामालूम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी

उपरोक्त महाल में अपने नाम को सही करके मोती राम उपनाम गीतो राम पुत्र सालो राम पुत्र नामालूम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04—07—2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 18—04—2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : 51/NT/21

Sh. Ajay Kumar s/o Surinder Kumar, r/o Village Shamnagar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय :—राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रार्थना—पत्र।

Sh. Ajay Kumar s/o Surinder Kumar, r/o Village Shamnagar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका नाम अन्य रिकार्ड में अजय कुमार के स्थान पर अजय कुमार चौधरी लिखा गया है। जबकी प्रार्थी का असल नाम अजय कुमार पुत्र सुरिंदर कुमार है। इस नोटिस के द्वारा समर्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को अजय कुमार पुत्र सुरिंदर कुमार व अजय कुमार चौधरी पुत्र सुरिंदर कुमार एक ही व्यक्ति के दो नाम है जिस बारे एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22—05—2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22—04—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता श्री जय चन्द, द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,

जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : /NT/24

Sh. Vijay Kumar s/o Late Sh. Mishri Lal, r/o Ward No. 5, Kotwali Bazar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय :—राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रार्थना—पत्र।

Sh. Vijay Kumar s/o Late Sh. Mishri Lal, r/o Ward No. 5, Kotwali Bazar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि Vijay Kumar or Vijay Kanogia or Vijay Kanojia एक ही व्यक्ति के नाम है। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Vijay Kumar or Vijay Kanogia or Vijay Kanojia के बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 15-06-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है।

आज दिनांक 15-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।
